

श्रीलोक - पूजा ह. वं. 5/18

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

5-8-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-10-20 को पेश हो

5-10-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3-12-20 को पेश हो

3-12-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4-2-21 को पेश हो

4-2-21

पत्रावली पेश। अपील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रेट्रोक्टिव के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेट्रोक्टिव के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय को अंतिम माना गया। फौजदारी नुमांदा से कन होकर बाद तारीख तकमोल दखिल रहकर हो।

कृपवन्धु अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

